चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 29.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 29.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). थाना मानिकपुर पर तैनात आरक्षी भास्कर शुक्ला,आरक्षी अमित द्विवेदी जो बीती रात 28/29.04.025 की रात्रि में कस्बा मानिकपुर में रात्रि गस्त कर रहे थे इसी दौरान रात्रि 01.15 मिनट पर वाल्मीकि नगर में कुछ लोग भीड़ भाड लगाए है लोगों से इकट्ठा होने का कारण पूछा तो बताए कि एक व्यक्ति राहुल पुत्र सामदेश निवासी वाल्मीकि नगर पश्चिमी थाना मानिकपुर अपनी पत्नी से नाराज होकर दरवाजा बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहा है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचकर दोनों आरक्षियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अंदर से बंद दरवाजे को आवश्यक बल प्रयोग कर खोला,फंदा लगाकर लटक चुका राहुल कोल के पैरो को ऊपर उठाकर उसकी जान बचाई व सकुशल उसके परिवारजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों आरक्षियों को अपने कर्तव्यों का पूर्ण मनोयोग से पालन करने व उनकी तत्परता से युवक की जान बचाने पर नगद पुरुस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान की घोषणा की है।

(4). आज दिनाँक 29.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री फहद अली की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के सर्राफा व्यापारियों के साथ गोष्ठी की गयी। गोष्ठी में सर्राफा व्यापारियों को सतर्कता रखने हेतु बताते हुये कहा गया कि जेवरात एवं नगदी लेकर चलते समय सतर्कता रखें यथासम्भव चार पहिया वाहन का प्रयोग करें। बाइक पर नकदी व जेवर लेकर अकेले सफर न करें कम से कम दो लोग तो एक साथ सफर करें। अपनी-अपनी दुकानों में एवं दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवायें, दुकानों के बाहर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करायें तथा सर्राफा बाजार में पूर्व की भांति चौकी व्यवस्था बनाकर रखें साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जो भी कर्मचारी आपके संस्थान में नियुक्त हो उन सभी का पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन अवश्य करा ले जिससे उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जानकारी आपको हो सके कि वह किस प्रवृत्ति का है,दुकानों में लगी वायरिंग को समय समय पर चेक करते रहे खराब होने की दशा में उन्हें बदलवा ले जिससे दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना से बचा जा सके।

इस दौरान पीआरओ श्री प्रवीण सिंह तथा जनपद के सर्राफा व्यापारी उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती रामप्यारी पुत्री देवस्वरूप निवासी अतरौली शुक्लन पुरवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति रामधीर पुत्र शिवलाल मेरे साथ रहे मुझे सास ससुर के साथ नहीं रहना के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी मंजूलता पाल,महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस मे पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी मंजूलता पाल

3.महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट

श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी धीरेन्द्र किशोर द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर श्री अंशुमान यादव द्वारा आज दिनाँक 29.04.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 15/25 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त सलोन पुत्र राधेश्याम निवासी मऊ गुरदरी ऊचाडीह थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 100/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी धीरेन्द्र किशोर द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर श्री अंशुमान यादव द्वारा आज दिनाँक 29.04.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत एनसीआर नंबर 116/18 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.नीरज पुत्र कुन्ना 2.सुधनिया पत्नी कुन्ना 3.अवधेश पुत्र अयोध्या 4. बिट्टी पत्नी अवधेश निवासीगण हनुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 3000-3000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्यामप्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद शुक्ला व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राकेश कुमार त्रिपाठी द्वारा आज दिनांक 29.04.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 150/2020 धारा 308,34,352 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. शंकरदयाल मिश्रा पुत्र रामप्रकाश मिश्रा 2.प्रतापनारायण मिश्रा पुत्र शंकरदयाल 3. देवेन्द्र पुत्र शंकर दयाल मिश्रा 4.शिवदयाल पुत्र स्व0 राम प्रकाश मिश्रा निवासीगण कस्बा रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 04-04 वर्ष का कारावास व 15000-15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.12.2020 को वादी सूरज उपाध्याय पुत्र रामबाबू निवासी कस्बा रैपुरा जनपद चित्रकूट ने थाना रैपुरा पर सूचना दी कि अभियुक्तगणों शंकर दयाल उपरोक्त ने उन्हें कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया कुल्हाड़ी के हमले से वह बेहोश हो गए एवं अभियुक्तगण उनके ऊपर हमलावर हो गए। इस सूचना पर थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 150/2020 धारा 308,34,352 भादवि0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री शिवपूजन यादव द्वारा की गई। मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 24.02.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद

भारती द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत एनसीआर 421/2015 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रज्जू पुत्र इंद्रपाल निवासी अहिरन पुरवा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह एवं पैरोकार संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 156/2023 धारा 279,337,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त हाशिम खां पुत्र स्व0 अब्दुल नजीर निवासी गोपाल कुंज तरौंहा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 3500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(11). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा आज दिनांक 29.04.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत एनसीआर 186/2021 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त भगवानदीन पुत्र पहली वर्मा निवासी ताम्रबनी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(12).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गजबये आलम व उ0नि0 अंशुल कुमार द्वारा मु0अ0स0 245/25 धारा 74,64,351(2) बीएनएस के वांछित अभियुक्त प्रेमचन्द्र पटेल पुत्र स्व0 बैजनाथ निवासी काडीखेरा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(13). प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

आगामी अक्षय तृतीय पर्व के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु मानिकपुर पुलिस बल के साथ कस्बा मानिकपुर में पैदल गस्त किया गया

आज दिनाँक 29.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देश मे अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा आगामी अक्षय तृतीय पर्व को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध निरीक्षक मानिकपुर श्री विनय विक्रम सिंह की उपस्थिति में मानिकपुर कस्बा ,रेलवे स्टेशन एवं कस्बा मानिकपुर के महत्वपूर्ण सार्वजनिक व संवेदनशील स्थानों एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त कर स्थानीय लोगो में सुरक्षित परिवेश का एहसास कराया गया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण,शराब की दुकान,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(14). आगामी अक्षय तृतीय पर्व के दृष्टिगत शांति व सुरक्षा हेतु अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशानुसार आज दिनांक 29.04.2025 को समय-18:25 बजे से 18:55 बजे तक रेलवे स्टेशन चित्रकूटधाम कर्वी की सघन चेकिंग डॉग स्क्वाड, एल.आई.यू.,जीआरपी, आरपीएफ टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गयी। चेकिंग के दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई।